

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

प्रलिस के लयि:

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ।

मेन्स के लयि:

एमपीलैड योजना का महत्त्व और संबंधति मुददे।

चरचा में क्यों?

हाल ही में वतित मंत्रालय ने [सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना](#) (MPLADS) के नयिमें में संशोधन कयिा है, जहाँ पर मलिने वाले ब्याज को [भारत की संचति नधि](#) में जमा कयिा जाएगा।

- अब तक इस फंड पर मलिने वाले ब्याज को MPLADS खाते में जोड़ा जाता था और विकास परयोजनाओं के लयि इसतेमाल कयिा जा सकता था।

भारत की संचति नधि:


- संवधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार, सरकार को मलिने वाले सभी राजसवों, जैसे- सीमा शुलक, उत्पाद शुलक, आयकर, संपदा शुलक, अन्य कर एवं शुलक और सरकार द्वारा दयि गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वे सभी संचति नधि में जमा कयिा जाते हैं।
- इसी प्रकार सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बलि (आंतरिक ऋण) और वदिशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के माध्यम से केंद्र द्वारा लयि गए सभी ऋणों को इस कोष में जमा कयिा जाता है।
- सभी सरकारी व्यय इसी नधि से पूरे कयिा जाते हैं (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा नधि या सार्वजनिक नधि से संबंधति हैं) और संसद के प्राधिकरण के बनिा नधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।

एमपीलैड (MPLAD) योजना:

- MPLAD के बारे में:**
 - MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दसिंबर 1993 में की गई थी।
- उद्देश्य:**
 - मुख्य रूप से अपने नरिवाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के नरिमाण पर जोर देते हुए वकिसात्मक प्रकृति के कार्यों की सफिरशि करने हेतु सांसदों को सक्षम बनाना।
 - जून 2016 से MPLAD फंड का उपयोग [स्वच्छ भारत अभियान](#) (Swachh Bharat Abhiyan), [सुगम्य भारत अभियान](#) (Sugamya Bharat Abhiyan), वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और [संसद आदर्श ग्राम योजना](#) (Sansad Aadarsh Gram Yojana) आदि योजनाओं के कार्यान्वयन में भी कयिा जाता है।
- कार्यान्वयन:**
 - MPLADS की प्रकरयिा संसद सदस्यों द्वारा नोडल ज़िला प्राधिकरण को कार्यों की सफिरशि करने के साथ शुरू होती है।
 - संबंधति नोडल ज़िला, संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसति कार्यों को लागू करने तथा योजना के तहत नषिपादति कार्यों और खर्च की गई राशि के वविरण हेतु ज़िम्मेदार है।
- कार्य पद्धति:**
 - MPLADS के तहत संसद सदस्यों (Member of Parliaments- MPs) को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की दो कशितों में 5 करोड़ रुपए की राशि वतितरि की जाती है। MPLADS के तहत आवंटति राशि नॉन-लैप्सेबल (Non-Lapsable) होती है।
 - लोकसभा सांसदों से इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्रों में ज़िला प्राधिकरण परयोजनाओं (District Authorities Projects) में व्यय

करने की सफ़ारिश की जाती है, जबकि राज्यसभा संसदों द्वारा इस राशिका उपयोग उस राज्य क्षेत्र में किया जाता है जहाँ से वे चुने गए हैं।

○ राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सफ़ारिश कर सकते हैं।



MPLADS संबंधी मुद्दे:

- कार्यान्वयन चूक: भारत के नयित्तरक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने वत्तीय कुप्रबंधन एवं खर्च की गई राशिकी कृत्त्रमि मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दों को उठाया है।
- कोई वैधानिक समर्थन नहीं: यह योजना किसी भी वैधानिक कानून द्वारा शासति नहीं है और यह उस समय की सरकार की मर्जी व कल्पनाओं के अधीन प्रारंभ की गई थी।
- नगिरानी और वनियमन: यह योजना विकास भागीदारी को बढ़ावा देने के लयि शुरू की गई थी लेकिन भागीदारी के स्तर को मापने हेतु कोई संकेतक उपलब्ध नहीं है।
- संघवाद का उल्लंघन: MPLADS स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तथा इस प्रकार संविधान के भाग IX और IX-A का उल्लंघन करता है।
- शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ संघर्ष: सांसद कार्यकारी कार्यों में शामिल हो रहे हैं।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mplad-scheme-2>